

3/6/19

हुकम में जारी हुए

कार्यवाही अगल से लगी जाती है। अज्ञाती पक्ष व 9 formal पत्राचार है। पत्रावली वाने वहात एन आर्डर दिनांक 14/10/2019 को पेश हो।
/r

14/10/19 वकुलाप उभय पक्ष उपरोक्त वहात हेतु अज्ञातर चार्जे है। वहात हेतु अज्ञातर अज्ञातर वहात जाकर पत्रावली दिनांक 25/10/2019 को पेश हो।
/r


25/10/19 वकुलाप उभय पक्ष उपरोक्त प्रकरण से वहात वकुलाप उभय पक्ष पुनी गई। वाने आदेश पत्रावली दिनांक 04/11/2019 को पेश हो।
/r

04/11/19 पत्रावली वाने आदेश पेश हुई। वकुलाप उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में वहात वकुलाप उभय पक्ष पूर्व में पुनी जा चुकी है। दोनाने वहात वकील प्रवर्तित ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंतिम तथ्यों को दोहराने हुए तादौदाने फैसल बाद अज्ञाती वगैरे विवादित आराजी की मौजूद व रेकार्ड की भर्त्सनापिठि करके (जने हेतु पाबन्द डिरे जाने का निवेदन विसु वना वकील अज्ञाती वगैरे ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंतिम तथ्यों को दोहराने हुए प्रार्थना-पत्र एन आर्डर वारिज करवाने का निवेदन विसु।
/r

प्रार्थना-पत्र, अज्ञाती

तारीख हुकम

रुई० के जकाब जाण पर, उपलब्ध राजस्व रैकॉर्ड
का अवलोकन किया गया। मुंडी उमम पक्ष
ने अपना पक्ष साबित करने हेतु कोई भी
पानावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पक्ष-
कारान के हउ अधिकारों का निर्धारण मूल
वादपत्र में गुणाबगुण के आधार पर किया
जाना है। अतः उमम पक्षकारान को तर्कों-बाने
पैसल बाद अर-थार्ड निषेधाज्ञा पाबंदी पाबंद
किया जाता है कि आप विवादग्रान्त आंराजी
खण्डों 758, 772 तन ग्राम बालाजीनगर पण
हा लोहरगडा में कोई निमगि नहीं करें। पचावली
पैसल सुमार हेक्टर नम्बर के इस के तका ७5
तकमील काजिल दफतर हो। निर्वमि जुले न्यायालय
में सुनाया गया।


रमजीत सिंह
उपखण्ड कांसी
खण्डेला (सीकर)

